

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 505/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 454/एफ 2017-04-03685/वित्त/नियम/चार, दिनांक 6 नवम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त परिपत्रानुसार पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को देय मंहगाई राहत की दरें निम्नानुसार होगी:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-01-2016 से	कोई मंहगाई राहत नहीं
दिनांक 01-07-2016 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 2%
दिनांक 01-01-2017 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 4%

2/ वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त मूल पेंशन/अतिरिक्त परिवार पेंशन पर भी उपर्युक्त तालिका में दर्शाई गई दरों पर मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी


स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. चक्रवर्ती) 13/12/2017
संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No. 505 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Naya Raipur, Dated 13 November, 2017
To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Commissioners of Divisions
All Heads of Department
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Revised rate of dearness relief to State Government employees retired/died on or after 01.01.2016.

The State Government has revised the Pension/Family Pension of the Government servants retired/died on or after 01.01.2016, vide circular No. 454/F 2017-04-03685/finance/Rule/IV, dated 6 November, 2017.

Now the Government has decided that the rate of dearness relief admissible to the Pensioner/Family Pensioner who are receiving pension in accordance with the circular mentioned above shall be as follows:-

Date from which payable	Rate of Dearness Relief per month
From 01.01.2016	No Dearness Relief
From 01.07.2016	2% of Basic Pension/Family Pension
From 01.01.2017	4% of Basic Pension/Family Pension

2. The additional Basic Pension/additional Family Pension available to old pensioners shall also qualify for dearness relief at the rates indicated in the above table.

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on


family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh**


12/12/2017
(S. K. Chakraborty)
Joint Secretary

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त) मंत्रालय, नया रायपुर
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर
11. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपाटमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर 382010
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
34. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
35. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003

36. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
37. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
38. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
39. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
40. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
41. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
42. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
43. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
44. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101
45. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
46. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
47. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
48. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
49. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
50. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
51. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
52. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
53. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
54. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001
55. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002
56. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018
58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001
61. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
63. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
65. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कंसल भवन शिमला 171003
66. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग, जयपुर 302001
67. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
68. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
69. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
71. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001
72. वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
73. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक 717101
74. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
75. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
76. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्वीव, पो. पणजी 403101

77. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
78. वेतन एवं लेखा अधिकारी क्रमांक 5 (पेंशन) तीस हजारी, दिल्ली 110006
79. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
80. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110001
81. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ग्वालियर, मध्यप्रदेश
82. संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


13.12.2017
(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी